न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 356/2022

निर्णय दिनांक :– 15/6/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. इन्द्रा पुत्री मुन्शी जाति मीना निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. कन्या पुत्री मुन्शी जाति मीना निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. खेमराज पुत्र मुन्शी जाति मीना निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. दुर्गा पुत्र मुन्शी जाति मीना निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. शिमला पुत्री मुन्शी जाति मीना निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. सोराज पुत्र मुन्शी जाति मीना निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. सोहनी पुत्री मुन्शी जाति मीना निवासी विजयगढ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार
दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 160 खसरा नम्बर 628/85 रकबा 0.30 है0 व खसरा नम्बर 629/616 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बालापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के अडवे ही अन्य खातेदारान जो बहुबल एवं अपने लठ के जोर पर प्रार्थीगण को डरा धमकाकर प्रार्थीगण की भूमि में नजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मेड, डोल को हकाई कर नष्ट कर अपने खेतो में मिला लिया और प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में हकाई, बुआई व फसल काश्त करने मे बेजा मजाहमत करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में लडी मेड, डोल एवं सीमा चिन्ह्र को नष्ट कर दिया गया है। इस कारण मौके पर विवाद बना रहता है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को

प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदे
फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदार जिसके खसरा नम्बर 62, 06, 07 से सीमा विवाद है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उसको पक्षकार नही बनाया है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में अंकित खाता संख्या 160 खसरा नम्बर 628/85 रकबा 0.30 है0 व खसरा नम्बर 629/616 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बालापुरा तहसील दूनी जिला टोंक विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली